—प्रेस नोट—

जनपद मीरजापुर

संख्याः- 46/2020 दिनांकः- 13.10.2020

“थाना कछवां व मुम्बई क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुम्बई टीआरपी मामले का एक आरोपी गिरफ्तार”

दिनांक 12.010.2020 को मुम्बई महाराष्ट्र से आयी हुई स्पेशल सीबी सीआईडी की टीम के द्वारा मुम्बई के बहुचर्चित टीआऱपी मामले में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मदद की मांग की गयी। जिसपर प्रभारी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना कछवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-143/2020 धारा 409,420,120बी व 34 भा0द0वि0 थाना कान्दिवली मुम्बई (विवेचनाधीन द्वारा सीआई यू यूनिट) के वांछित अभियुक्त विनय त्रिपाठी पुत्र राजेन्द्र त्रिपाठी निवासी तुलापुर थाना कछवां मीरजापुर को उसके घर से रात्रि लगभग 20.00 बजे क्राइम ब्रांच मुम्बई की शिनाख्त पर गिरफ्तार किया गया।

विवरण अपराध —

मुम्बई महाराष्ट्रा से विवेचना में आये पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मैं हंसा नाम की कंपनी में काम करता हूं जो टीआरपी रेटिंग मशीन बीआरसी को घरों में लगाने का काम करती है। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए घर वालों को पैसा देकर ऑपरेटर की मर्जी से घरवालों को निश्चित चैनल देखने के लिए कहा जाता है जिसकी वजह से उस चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

विनय त्रिपाठी पुत्र राजेन्द्र त्रिपाठी निवासी तुलापुर थाना कछवां मीरजापुर, उम्र करीब-32 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

थाना कछवां —

1. प्र0नि0 सुभाषचन्द्र राय थाना कछवां मीरजापुर।
2. व0उ0नि0 रमाकान्त यादव थाना कछवां मीरजापुर।
3. का0 मो0 अशद अली थाना कछवां मीरजापुर।
4. का0 अवनीश सिंह थाना कछवां मीरजापुर।

क्राइम ब्रांच मुम्बई —

1. उ0नि0 सुभाष मठे मुम्बई क्राइम ब्रांच यूनिट-1.
2. पीएसआई हे0का0 जितेन्द्र क्षेड़गे मुम्बई क्राइम ब्रांच यूनिट-1.
3. का0 विनोद मादले मुम्बई क्राइम ब्रांच यूनिट-1.